कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक –

[illegible] / 2020

[illegible] तहसीलदार उदयपुरवाटी का प्रतिवेदन [illegible] दिनांक [illegible] के आवेदन पत्र में अंकित तथ्यानुसार आवेदक [illegible] एवं दुरुस्ती किये जाने योग्य है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है / [illegible] की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

– आदेश –

दिनांक – 28/10/21

पक्षों के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में [illegible] त्रुटि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व [illegible] के आदेश दिये जाते हैं।

[illegible]	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
[illegible]	[illegible]	2005-06	332	मनेश कुमार पुत्र केसार राम जाति कुम्हार (प्रजापति)	मुकेश कुमार पुत्र केसार राम जाति कुम्हार (प्रजापति)

नोट –शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

दिनांक – 28/10/21

[illegible]/2020/ 469-70

[illegible]तार (भू0अ0), उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वारसों पालनार्थ।

[illegible] मुकेश कुमार पुत्र केसार राम [illegible] को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 11:06:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner